संख्या : 1628 पी0पी0 / 26–43 / 2020

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव,
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 /
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय,
807, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी /
जन सूचना अधिकारी, आगरा क्षेत्र।

मद्यनिषेध विभाग लखनऊ दिनांक : 28 अगस्त 2020

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री [redacted] के पत्र दिनांक 22.08.2020 (मूलरूप में संलग्न) द्वारा श्री रघुवीर सिंह, जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं मांगी गयी है। उक्त सूचनाएं आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। अतः आप श्री [redacted] द्वारा मांगी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में ससमय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यह भी अवगत कराना है कि आवेदक श्री [redacted] का पोस्टल आर्डर संख्या 81 इ 165168 धनराशि रू0 10/– मात्र प्राप्त कार्यालय में रख लिया गया है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 /
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय

संख्या 1628 (1)पी0पी0 / 26–43 / 2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री [redacted] को उनके दिनांक 22.08.2020 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित। कृपया भविष्य में प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित पत्राचार क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी / जन सूचना अधिकारी, 39/42 ए/1, पुरानी ईदगाह कालोनी, आगरा से करने का कष्ट करें।

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 /
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय

कार्यालय
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
39/42ए/1 पुरानी ईदगाह कालॉनी, आगरा.

दिनांक :24 सितम्बर 2020

पत्रांक : 245 म0स0आ0/2020-21/आगरा

सेवा में
[redacted]

विषयः जन सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के अन्र्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सबंध में।

कृपया आप अपने आवेदन दिनांक -22.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी,उ0प्र0/जनसूचना अधिकारी मुख्यालय, 807, जवाहर भवन ,लखनऊ का पत्र संख्या 1628 पी0पी0/26-43/2020 दिनांक 28.08.2020 से इस कार्यालय को दिनांक -08.09.2020 में प्राप्त हुआ। वांछित सूचना बिंदुवार निम्नवत है।

1. श्री रघुवीर सिंह, जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर दिनांक-12.11.1999 से दिनांक 03.02.2009 तक इस कार्यालय में कार्यरत रहें।
2. भारत सरकार,कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) का संख्या 1/7/2009 आई.आर नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली का कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.06.2009 की व्यवस्था के कम में (क्यों) जैसे प्रश्नों का उत्तर सूचना की परिभाषा में नहीं है अतः उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है।
3. प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है, वर्तमान में इस विभाग में नहीं है।
4. प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है,

कृपया बिंदु 01 से बिंदू 04 तक की सूचनाओं से सूचित हों।

24/09-20

(विजय कुमार हजेला)
जन सूचना अधिकारी /
उप क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी,
आगरा क्षेत्र आगरा।

संख्या व दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपिः-

1-राज्य मद्यनिषेध अधिकारी लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

24/09-20

(विजय कुमार हजेला)
जन सूचना अधिकारी /
उप क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी,
आगरा क्षेत्र आगरा।

O/C

पत्रा० 46/2020
सं० 1841 प०/प० 126

क्र० सं० 60
प० प्रेजीकृत

SH-1

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या जन– 304 /आठ–सांख्यिकी/जन सूचना/विविध/2020–21/दिनांक/सितम्बर,17 ,2020

जन सूचना अधिकारी,
मद्य निषेध विभाग,
जवाहर भवन,
लखनऊ ।

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत श्री [redacted] को सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत श्री [redacted] के पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगी गयी है अवगत कराना है कि संदर्भित प्रकरण आपके विभाग से सम्बन्धित है।

अतः आवेदक का पत्र मूल रूप में मय भा0पो0आ0 रू0 10/संख्या 48 एफ 147675 संलग्न करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत श्री [redacted] को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त ।

Singh.

(डा0 जोगेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)/
जन सूचना अधिकारी,
का0 आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।

संख्याः 305 /दिनॉक यथोक्त ।

प्रतिलिपि [redacted] को इस आशय से प्रेषित कि आप द्वारा चाही गयी सूचना जन सूचना अधिकारी, मद्य निषेध विभाग,जवाहर भवन, लखनऊ के कार्यालय से सम्बन्धित है। जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत उन्हें हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया भविष्य में इस सम्बन्ध में उनके कार्यालय से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

(डा0 जोगेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)/
जन सूचना अधिकारी,
का0 आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।

संलग्न
लेखा/सूचना
28/9/20

1

पत्र सं0 2

रजिस्टर्ड

संख्या : 1062 पी0पी0 / 26–46 / 2020

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव,
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 /
जनसूचना अधिकारी,
807, जवाहर भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सेवा में,

श्री [redacted]

मद्यनिषेध विभाग लखनऊ दिनांक : 30 सितम्बर, 2020

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2020 के बिन्दु B में मांगी गयी सूचना निम्नानुसार प्रेषित है। बिन्दु A, C, D व E मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0 से संबंधित नहीं है।

(लाख रुपये में)

मानक मद	वर्ष 2019–20 का कुल व्यय
01– वेतन	275.92
03– मंहगाई भत्ता	45.5
04– यात्रा व्यय	4.43
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	00
06– अन्य भत्ता	0.33
07– मानदेय	0.21
08– कार्यालय व्यय	2.91
09– विद्युत देय	1.16
10– जलकर / जल प्रभार	0.11
11– लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	2.73
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.04
13– टेलीफोन व्यय	1.09
15– मोटरगाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	4.98
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.58
17– किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	3.73
19– विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन	2.46
22– आतिथ्य व्यय	0.52

---2

26– मशीन सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	0.69
29– अनुरक्षण	0.18
42– अन्य व्यय	41.95
44– प्रशिक्षण व्यय	00
45– अवकाश यात्रा व्यय	00
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय	0.99
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.51
49– चिकित्सा व्यय	4.88
51– वर्दी व्यय	0.05
52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	17.45
55– मकान किराया भत्ता	23.28
56– नगर प्रतिकर भत्ता	2.94
योग	**442.62**

भवदीय

30/9/20

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी
मुख्यालय

संख्या : 1062 (1) पी0पी0/26–46/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि – संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)/जनसूचना अधिकारी, कार्या0 आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज को अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनाओं में से विभाग से संबंधित बिन्दु B की सूचना उपरोक्तानुसार आवेदक को दी जा रही है। शेष बिन्दु A, C, D व E विभाग से संबंधित नहीं है। अतः आपके पत्र संख्या 304/आठ–साख्यिकी/जनसूचना/विविध/2020–21 दिनांक 17 सितम्बर, 2020 के साथ संलग्न आवेदक श्री [redacted]क पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2020 व रु0 10/– का पोस्टर आर्डर सं0 48 एफ 147675 (जो कि जन सूचना अधिकारी आबकारी के नाम से निर्गत है) मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु वापस प्रेषित है।

संलग्नक : यथोक्त।

30/9/20

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी
मुख्यालय

29-9-20

30/9/20